राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. केन्द्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 126/2009

मुकेश मोदी, लगभग 48 वर्ष, पुत्र श्री एच.एस. मोदी, निवासी 9 ए, पोलो ग्राउंड उदयपुर, मैसर्स जैन ग्रानी मार्मो प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, चरक उपवन के पास, ग्राम अम्बेरी, डाकघर बड़गाँव, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, उदयपुर – 313011 (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय, भारत सरकार, वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय, राजस्व विभाग, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।

----उत्तरदाता

से संबंधित

डी.बी. केन्द्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 127/2009

मैसर्स जैन ग्रानी मार्मो प्राइवेट लिमिटेड, चरक उपवन के पास, ग्राम अम्बेरी, डाकघर बड़गाँव, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, उदयपुर – 313011 (राजस्थान)

----अपीलकर्ता

बनाम

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय, भारत सरकार, वित्त और कंपनी मामलों के मंत्रालय, राजस्व विभाग, नया केंद्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर।

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता/अपीलकर्ताओं के लिए	:	श्री एम.एस. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मेहता द्वारा सहयोगित
उत्तरदाता/उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री कुलदीप वैष्णव

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

दिनांक 15/01/2025 को आरक्षित

दिनांक 21/02/2025 को उच्चारित

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे:

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद '1962 का अधिनियम' कथित) की धारा 130 के तहत ये सीमा शुल्क अपीलें, निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए वरीयता दी गई हैं:

<u>अपील संख्या 126/2009:</u>

> "इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस अपील को कृपया स्वीकार किया जाए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली का दिनांक *17.02.2009* का आक्षेपित निर्णय जो अपील संख्या सी*/473/2006* में पारित किया गया है, जहाँ तक यह आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय के दिनांक *17.04.2006* के आदेश के हिस्से को बरकरार रखता है, उसे कृपया अपास्त किया जाए, अपीलकर्ता द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दायर अपील को कृपया पूर्ण रूप से अनुमत किए जाने का आदेश दिया जाए और आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय द्वारा पारित दिनांक *17.04.2006* के आदेश को कृपया अपास्त किया जाए।
>
> वैकल्पिक रूप से, उत्तरदाता को आक्षेपित दिनांक *17.04.2006* के आदेश के तहत शुल्कों की गणना के लिए डीटीए बिक्री करते समय कंपनी द्वारा भुगतान किए गए शुल्कों के संबंध में सेट ऑफ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।
>
> कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित मानता है, कृपया अपीलकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

<u>अपील संख्या 127/2009:</u>

> "इसलिए, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि इस अपील को कृपया स्वीकार किया जाए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली का दिनांक *17.02.2009* का आक्षेपित निर्णय जो अपील संख्या सी*/473/2006* में पारित किया गया है, जहाँ तक यह आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय के दिनांक *17.04.2006* के आदेश के हिस्से को बरकरार रखता है, उसे कृपया अपास्त किया जाए, अपीलकर्ता द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दायर अपील को कृपया पूर्ण रूप से अनुमत किए जाने का आदेश दिया जाए और आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर-द्वितीय द्वारा पारित दिनांक *17.04.2006* के आदेश को कृपया अपास्त किया जाए।
>
> वैकल्पिक रूप से, उत्तरदाता को आक्षेपित दिनांक *17.04.2006* के आदेश के तहत शुल्कों की गणना के लिए डीटीए बिक्री करते समय कंपनी द्वारा

भुगतान किए गए शुल्कों के संबंध में सेट ऑफ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित मानता है, कृपया अपीलकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।"

2. शुरुआत में, अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से पेश हुए श्री एम.एस. सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री अभिषेक मेहता ने सहयोग किया, ने बताया है कि इस माननीय न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 11.01.2010 के आदेशों के माध्यम से, अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए, जिसमें उत्तरदाताओं को अंतिम आदेश पारित करने से रोका गया था, निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानून के प्रश्न पर वर्तमान अपील को स्वीकार कर लिया था:

"क्या राजस्व प्राधिकारी डीजीएफटी या उसके प्रतिनिधि द्वारा एक *100%* ईओयू को डीटीए में बिक्री करने के लिए दी गई अनुमति पर सवाल उठा सकते हैं और इस प्रकार ऐसे ईओयू को अधिसूचना संख्या *52/03*-सीयूएस के तहत उपलब्ध छूट से वंचित कर सकते हैं*?*"

3. अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक-श्री मुकेश मोदी) के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले के तथ्यात्मक सार को संक्षेप में बताते हुए, प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी, पंजीकृत निजी लिमिटेड कंपनी, एक 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) थी और उदयपुर में संगमरमर स्लैब, टाइल और तैयार संगमरमर ब्लॉक के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई थी।

3.1. अपीलकर्ता-कंपनी ने ईओयू के रूप में बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति पत्र (एलओपी) के लिए आवेदन किया और उसे प्रदान किया गया, वर्ष 2000 में, और यह कि उपरोक्त एलओपी में सर्पेन्टाइन स्लैब और टाइलों के लिए अनुमति शामिल थी।

3.2. एलओपी विदेशी व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा जारी दिनांक 10.06.2002 के परिपत्र पर आधारित था, यह स्पष्ट करते हुए कि तैयार सर्पेन्टाइन संगमरमर ब्लॉक का निर्यात तैयार संगमरमर ब्लॉक के लिए जारी अग्रिम लाइसेंसधारी के निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए विचार में लिया जाना चाहिए। अनुमतियाँ तदनुसार जारी की गईं और समय-समय पर नवीनीकृत की गईं।

3.3. कि दिनांक 03.08.2005 को अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक- श्री मुकेश मोदी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता-कंपनी ने अधिसूचना संख्या 52/03-सीयूएस दिनांक 31.03.2003,

अधिसूचना संख्या 23/03-सीई दिनांक 31.03.2003, निर्यात और आयात नीति 2002-2007 (इसके बाद "एक्जिम नीति, 2002-2007" कहा गया है) के पैराग्राफ 6.1, 6.2(बी), और 6.8, विदेशी व्यापार नीति 2004-2009 (इसके बाद "एफटीपी 2004-2009" कहा गया है) के पैराग्राफ 6.1, 6.2(बी), और 6.8, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 (इसके बाद 'नियम 2002' कहा गया है) के नियम 6 और 17 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

3.4. अपीलकर्ता-कंपनी के विरुद्ध आरोपों का सार यह था कि इसने आयात शुल्क से छूट का आनंद लेते हुए इसके द्वारा आयातित संगमरमर ब्लॉक से कंपनी द्वारा उत्पादित/निर्मित माल की डीटीए बिक्री की थी, बिना ऐसे आयात से उत्पादित/निर्मित माल से निर्यात किए।

3.5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त कारण बताओ नोटिस में उत्तरदाता द्वारा दिया गया कारण यह था कि आयातित माल द्वारा उत्पादित/निर्मित माल से डीटीए बिक्री तभी अनुमेय थी, जब संबंधित ईओयू ने पहले उसी आयातित माल से उत्पादित/निर्मित माल से निर्यात किया हो और उन्हें एफटीपी और एक्जिम नीति और इसके संबंध में अन्य अधिसूचनाओं की शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता थी।

3.6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान एक्जिम नीति 2002-2007 के पैरा 6.8 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार पढ़ता है:

> ***"6.8.*** **तैयार उत्पादों / अस्वीकृत माल / अपशिष्ट / स्क्रैप / अवशेष / उप-उत्पादों की डीटीए बिक्री**
>
> ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाइयों का संपूर्ण उत्पादन निम्नलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा:
>
> *(ए)* जब तक कि एलओपी में विशेष रूप से निषिद्ध न हो, अस्वीकृत माल को सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना पर पैराग्राफ *6.8 (*बी*)* के तहत बिक्री पर लागू शुल्कों के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र *(*डीटीए*)* में बेचा जा सकता है। ऐसी बिक्री को पैराग्राफ *6.8 (*बी*)* के तहत डीटीए बिक्री पात्रता के विरुद्ध गिना जाएगा। निर्यात के एफओबी मूल्य के *5%* तक अस्वीकृत माल की बिक्री एनएफई की उपलब्धि के अधीन नहीं होगी।
>
> *(*बी*)* रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा, इकाइयाँ निर्यात के एफओबी मूल्य के *50%* तक माल को लागू शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के अधीन बेच सकती हैं। नीति के तहत स्थापित एक निजी बंधुआ गोदाम को की गई बिक्री को भी ईओयू द्वारा निर्यात के एफओबी मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि ऐसी बिक्री का भुगतान ईईएफसी खाते से किया गया हो। मोटर कार्ड,

मादक पेय, किताबें और चाय *(*इंस्टेंट चाय को छोड़कर*)* और किताबें या पैकेजिंग*/*लेबलिंग*/*पृथक्करण*/*रेफ्रिजरेशन इकाई द्वारा और ऐसे अन्य मदों के संबंध में कोई डीटीए बिक्री अनुमेय नहीं होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

*(*सी*)* रत्न और आभूषण इकाइयाँ पिछला वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के *10%* तक डीटीए में नीति में निर्धारित सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के अधीन बेच सकती हैं। सादे आभूषणों की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामांकित एजेंसियों से बिक्री पर लागू रियायती शुल्क दर का सीमा शुल्क को भारतीय रुपये में भुगतान करेगा। जड़े हुए आभूषणों के संबंध में, शुल्क भारतीय रुपये में सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित के अनुसार देय होगा।

*(*डी*)* उत्पादन प्रक्रिया से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले स्क्रैप*/*अपशिष्ट*/*अवशेष को निर्यात के एफओबी मूल्य के *50%* की समग्र सीमा के भीतर पैराग्राफ *6.8 (*बी*)* के तहत लागू शुल्कों के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत अधिसूचित मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों के अनुसार डीटीए में बेचा जा सकता है। हालाँकि, ऐसी बिक्री सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अधीन नहीं होगी। डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं होने वाली इकाइयों द्वारा या डीटीए बिक्री पात्रता से परे अपशिष्ट*/*स्क्रैप*/*अवशेष की बिक्री पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर होगी।

*(*ई*)* यदि सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से स्क्रैप*/*अपशिष्ट*/*अवशेष नष्ट हो जाते हैं तो उन पर कोई शुल्क*/*कर नहीं होगा।

*(*एफ*)* ईओयू*/*ईएचटीपी*/*एसटीपी इकाइयों को तैयार उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है, जो नीति के तहत डीटीए में स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं, पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर बशर्ते उन्होंने नीति के अनुसार सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो।

ऐसी बिक्री की अनुमति सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के बिना असाधारण मामलों में भी दी जा सकती है।

*(*जी*)* सेवाओं के लिए, जिसमें सॉफ्टवेयर इकाइयाँ शामिल हैं, ऑनलाइन डेटा संचार सहित किसी भी मोड में डीटीए में बिक्री, निर्यात के एफओबी मूल्य के *50%* तक और*/*या अर्जित विदेशी मुद्रा के *50%* तक अनुमेय होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

*(*एच*)* एलओपी में शामिल उप-उत्पादों को भी पैराग्राफ *6.8 (*बी*)* की समग्र पात्रता के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अधीन डीटीए में बेचा जा सकता है। डीटीए बिक्री के लिए पात्र नहीं होने वाली इकाइयों द्वारा या पैराग्राफ *6.8 (*बी*)* की पात्रता से परे उप-उत्पादों की बिक्री भी पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर अनुमेय होगी।

नोट*:* इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाली इकाइयों के मामले में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एनएफई और डीटीए बिक्री पात्रता को अलग से गिना जाएगा।*"*

उक्त पैरा 6.8(ए) को पहली बार 13.5.2005 को और उसके बाद 31.8.2005 को संशोधित किया गया था। संशोधित 6.8(ए) इस प्रकार पठित है:

> *"(*ए) "रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा, इकाइयाँ निर्यात के एफओबी मूल्य के *50%* तक माल को रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के अधीन बेच सकती हैं। डीटीए बिक्री की पात्रता के भीतर, इकाई डीटीए में अपने उत्पादों को उस माल के समान बेच सकती है, जो इकाइयों से निर्यात किया जाता है या निर्यात किए जाने की उम्मीद है। *[*प्रमुख कारों, मादक पेय, चाय *(*इंस्टेंट चाय को छोड़कर*)*, काली मिर्च और काली मिर्च उत्पाद संगमरमर और ऐसे अन्य मदों के संबंध में कोई रियायती शुल्क पर डीटीए बिक्री अनुमेय नहीं होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है। ऐसी डीटीए बिक्री पैकेजिंग/लेबलिंग/पृथक्करण/रेफ्रिजरेशन/संपीड़न/माइक्रोनाइजेशन/पुलवरा इजेशन/ग्रेन्युलेशन/रासायनिक के मोनोहाइड्रेट रूप को निर्जल रूप में या इसके विपरीत रूपांतरण की गतिविधियों में लगी इकाइयों को भी अनुमेय नहीं होगी*]*।
>
> एसईजेड में एक इकाई को की गई बिक्री को भी ईओयू द्वारा निर्यात के एफओबी मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते ऐसी बिक्री का भुगतान ईईएफसी खाते से किया गया हो। डीटीए को बिक्री भी फार्मास्युटिकल उत्पादों *(*थोक दवाओं सहित*)* के पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता के अधीन होगी।*"*

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन में, प्रस्तुत किया कि अन्य नोटिस भी जारी किए गए थे, जिसमें दिनांक 03.08.2005 का कारण बताओ नोटिस शामिल था। अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक- श्री मुकेश मोदी (अपीलकर्ता) को दिनांक 08.11.2005 का एक और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, कि क्यों उसे (अपीलकर्ता-कंपनी) को आयातित संगमरमर ब्लॉक और डीटीए में जारी किए गए ब्लॉक/स्लैब पर लगाए गए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर मांग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त दिनांक 03.08.2005 और 08.11.2005 के नोटिसों के लिए उचित जवाब क्रमशः 14.10.2005 और 04.01.2006 को प्रस्तुत किए गए थे, हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा ₹ 2,97,07,986/- सीमा शुल्क और ₹ 1,91,75,007/- उत्पाद शुल्क की मांगें उठाई गईं।

4.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक (अपीलकर्ता- श्री मुकेश मोदी) ने माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'सेस्टेट' कहा गया है) के समक्ष

दिनांक 17.04.2006 के आदेश के विरुद्ध अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिन्हें सीमा शुल्क अपील संख्या 472-473 of 2006 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिस पर दिनांक 17.02.2009 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से उन्हें आंशिक रूप से अनुमत किया गया था और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में मांग को अमान्य ठहराया गया है, हालाँकि सीमा शुल्क और शास्तियों के संबंध में दायित्व को बरकरार रखा गया था।

4.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इसमें शामिल प्रश्न अनिवार्य रूप से अधिसूचना संख्या 52/03-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 के दायरे की व्याख्या से संबंधित है, जैसा कि दिनांक 28.11.1995 और 31.01.2005 के परिपत्रों के अनुसार, अपीलकर्ता-कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले आयुक्त बोर्ड को मामले को संदर्भित करने के लिए बाध्य थे।

4.3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि कार्रवाई परिपत्र संख्या 93/2000-सीयूएस दिनांक 21.11.2000 के उल्लंघन में शुरू की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि इकाई विकास आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति की सीमा तक डीटीए में माल जारी करने के लिए पात्र थी, लागू शुल्कों के भुगतान पर।

4.3.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि एक बार सक्षम प्राधिकारी यानी विकास आयुक्त द्वारा डीटीए बिक्री के लिए ऐसी अनुमति दिए जाने के बाद, न तो सीमा शुल्क और न ही उत्पाद शुल्क प्राधिकारी उत्पाद शुल्क के उद्देश्य के लिए इस पर सवाल उठा सकते हैं।

4.3.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि माल की प्रत्येक श्रेणी, जिसे निर्यात किया जाना था, डीटीए में बेचा/आपूर्ति किया गया था या अन्य एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को हस्तांतरित किया गया था, एक वर्ग का गठन करती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह उत्तरदाता द्वारा जारी प्रक्रिया पुस्तिका द्वारा समर्थित था।

4.3.3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा डीटीए में की गई बिक्री अनुमेय थी और इसलिए, छूट उन पर लागू थी।

4.4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि भले ही अधिसूचना संख्या 52/03-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 को केवल तभी लागू माना जाता है जब डीटीए में निपटाया गया माल 100% ईओयू द्वारा निर्यात किए गए माल के 'समान' हो, तो भी विद्वान सेस्टेट द्वारा दर्ज निष्कर्ष गलत थे कि सर्पेन्टाइन ब्लॉक, स्लैब और टाइलें संगमरमर ब्लॉक, स्लैब और टाइलों से अलग हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निदेशक, खान और भूविज्ञान निदेशालय की विशेषज्ञ रिपोर्ट की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान

आकर्षित किया, जिसमें यह दिखाया गया है कि सर्पेन्टाइन (जिसे लोकप्रिय रूप से हरा संगमरमर के रूप में जाना जाता है) और सफेद/रंगीन संगमरमर में कोई अंतर नहीं है, साथ ही अन्य भौतिक रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड पर रखे गए हैं।

4.5. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 07/2006 दिनांक 13.01.2006 डीटीए में बिक्री करने के उद्देश्य के लिए 'समान माल' के संबंध में स्पष्टीकरण देता है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

> **"डीटीए बिक्री:**
>
> *3.* एफटीपी का पैराग्राफ *6.8(*ए*)* यह प्रावधान करता है कि ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी निर्यात के एफओबी मूल्य के *50%* तक माल को रियायती शुल्क के भुगतान पर डीटीए में सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के अधीन बेच सकते हैं। यह यह भी प्रावधान करता है कि डीटीए बिक्री की पात्रता के भीतर, इकाई को डीटीए में अपने उत्पादों को उस माल के समान बेचना होगा, जो निर्यात किया जाता है या निर्यात किए जाने की उम्मीद है। इस बारे में संदेह रहा है कि 'समान माल' क्या बनाता है। इसके अलावा, जब इकाइयों को पैराग्राफ *6.39.9* के तहत डीटीए बिक्री के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो स्पष्टता और एकरूपता लाने के लिए "समान माल" की परिभाषा प्रदान करना आवश्यक महसूस किया जाता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि 'समान माल' की परिभाषा सीमा शुल्क मूल्यांकन *(*आयातित माल की कीमत का निर्धारण*)* नियम, *1988* में प्रदान की गई समान माल की परिभाषा पर आधारित होगी। "समान माल" शब्द का अर्थ है "माल जो यद्यपि सभी पहलुओं में समान नहीं है, लेकिन समान विशेषताएँ और समान घटक सामग्री रखता है जो उन्हें निर्यात किए गए या निर्यात किए जाने की उम्मीद वाले माल के साथ समान कार्य करने और व्यावसायिक रूप से विनिमेय होने में सक्षम बनाता है, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और व्यापार चिह्न के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए और निर्यात माल का उत्पादन करने वाले उसी व्यक्ति द्वारा उसी इकाई में उत्पादित होता है। इस संबंध में जारी बोर्ड का परिपत्र संख्या *85/95* दिनांक *26-7-95* रद्द माना जाता है।"

4.5.1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दो माल/उत्पादों के बीच समानता के मुद्दे का निर्धारण करते समय, कार्यात्मक के साथ-साथ व्यावसायिक भेद पर भी विचार किया जाना आवश्यक था।

4.5.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सफेद संगमरमर और हरे संगमरमर की व्यावसायिक उपयोगिता और उपयोग समान था, और यह कि दोनों संगमरमर का उपयोग घरेलू के साथ-साथ व्यावसायिक भवनों में परिसरों, फर्श और

दीवारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। इस न्यायालय का ध्यान अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 से प्रासंगिक उद्धरण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- तैयार माल के निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है,
- भले ही निर्यात न किया गया हो, निर्यात और आयात नीति के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है और विकास आयुक्त द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे अन्य प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944* की धारा *3* के तहत उस पर लगने वाले उपयुक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान पर *(*इस प्रकार, सीमा शुल्क बिल्कुल लागू नहीं है।*)*
- बशर्ते कि जहाँ ऐसा तैयार माल उत्पाद शुल्क के अधीन नहीं है, इस अधिसूचना के तहत आयातित और ऐसे तैयार माल के निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए इनपुट पर लगने वाले सीमा शुल्क के बराबर राशि का सीमा शुल्क, जो इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए भुगतान किया गया होता, ऐसे तैयार माल के जारी होने के समय देय होगा। *(*यह केवल तैयार माल के उत्पाद शुल्क के अधीन न होने की स्थिति में लागू होता है। अपीलकर्ता के मामले में, तैयार माल उत्पाद शुल्क के अधीन है, इसलिए उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है जो सीमा शुल्क से कहीं अधिक है, इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।*)*

4.6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सर्पेन्टाइन एचएसएन और आईटीसी (एचएस) के तहत शीर्ष 25.16 में शामिल था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शीर्ष 25.15 के तहत पॉलिश सर्पेन्टाइन स्लैब के निर्यात के लिए सीमा शुल्क द्वारा जारी शिपिंग बिलों की कुछ प्रतियाँ यह साबित करती हैं कि सर्पेन्टाइन शीर्ष 25.15 के तहत शामिल था जिसके तहत संगमरमर भी शामिल था।

4.7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संगमरमर स्लैब/टाइल और सर्पेन्टाइन स्लैब/टाइल के लिए अलग इनपुट/आउटपुट मानदंड थे, हालाँकि उन दोनों का नामकरण समान है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, संगमरमर और सर्पेन्टाइन दोनों को संगमरमर कहा जाता है, हालाँकि उनकी रासायनिक संरचना चट्टान से चट्टान में बदल सकती है क्योंकि वे प्राकृतिक उत्पाद हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि बाजार में, विभिन्न बनावट के विभिन्न प्रकार के संगमरमर फर्श या निर्माण में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, हालाँकि उनके उपयोग समान हैं।

4.7.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि "वेल्थ ऑफ इंडिया", जो भारतीय कच्चे माल और औद्योगिक उत्पाद का एक शब्दकोश है, "सर्पेन्टाइन संगमरमर" का उल्लेख करता है।

4.7.2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीजीएफटी निर्देश दिनांक 10.06.2002 स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि सर्पेन्टाइन को नियमित संगमरमर माना जाना चाहिए और तैयार सर्पेन्टाइन ब्लॉक के निर्यात को ड्रेस संगमरमर ब्लॉक के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए विचार में लिया जाना चाहिए; जिसका प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 2 से:

> "ब्यूरो ने आगे स्पष्ट किया है कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल *(*एटीएम*)* द्वारा अपनाए गए संगमरमर के व्यावसायिक वर्गीकरण के अनुसार, व्यावसायिक संगमरमर को अन्य लोगों के बीच सर्पेन्टाइन संगमरमर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।"

पैरा 3 से:

> "शुल्क छूट योजना के तहत निर्यात के उद्देश्य के लिए, सर्पेन्टाइन *(*हरा संगमरमर*)* ब्लॉक को केवल नियमित संगमरमर माना जाना चाहिए और तदनुसार, एसआईओएन प्रविष्टि संख्या ए-*1985,* प्रक्रिया पुस्तिका, खंड *2 (*भाग- *I)* में सर्पेन्टाइन *(*हरा संगमरमर*)* ब्लॉक भी शामिल होगा और यह भी कि तैयार सर्पेन्टाइन *(*हरा संगमरमर*)* ब्लॉक के निर्यात को ड्रेस संगमरमर ब्लॉक के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए विचार में लिया जाना चाहिए।"

4.8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी वस्तु/उत्पाद की मांग और आपूर्ति के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित कीमत के अनुसार, सर्पेन्टाइन संगमरमर सफेद संगमरमर स्लैब की तुलना में उच्च दर पर भी बेचा जाता है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा \@ यूएसडी पर विधिवत सत्यापित सीमा शुल्क चालानों की कुछ प्रतियाँ उस समय जब आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, सफेद संगमरमर (राज नगर) आज भी सर्पेन्टाइन संगमरमर की समान सीमा में उपलब्ध है, और इसलिए, कीमत कारक समानता का आधार नहीं बन सकता है।

4.9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि विकास आयुक्त अंतिम प्राधिकारी है और विकास आयुक्त द्वारा निष्पादित एलओपी और एलयूटी भारत सरकार के सभी विभागों पर बाध्यकारी है।

4.10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है क्योंकि दोनों आक्षेपित एससीएन की अवधि एससीएन की तारीख से पहले की है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सफेद संगमरमर और

सर्पेन्टाइन संगमरमर दोनों में समान विशेषताएँ और कार्य हैं यानी निर्माण के लिए फर्श में दोनों का उपयोग किया जाता है।

4.11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि बोर्ड का परिपत्र संख्या 67-2006-सीयूएस दिनांक 13.01.2006 एचबीपी के पैरा 6.39.9 के संदर्भ में है जहाँ विकास आयुक्त से अनुमति प्राप्त किए बिना स्टेटस धारक को डीटीए बिक्री के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की अनुमति है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, यह परिपत्र उन मामलों में लागू नहीं है, जहाँ विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट अनुमति दी गई है। इसके अलावा, यह परिपत्र प्रश्नगत एससीएन के तहत कवर की गई अवधि के बाद और एससीएन जारी करने की तारीख के बाद भी जारी किया गया है और इस प्रकार वही एससीएन के साथ-साथ अपील के तहत मूल आदेश का आधार भी नहीं है।

4.12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस प्रकार अपने बयानों को संक्षेप में यह कहते हुए कहा कि तत्काल मामले में "समरूप" शब्द को "एक ही" या "समान" शब्द का अर्थ नहीं दिया जा सकता है। चूंकि, नियम 57 एफ (3) के परंतुक के तहत दोनों को अलग तरह से मानने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं रहा है, इसलिए 'समान' शब्द को व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए और इस प्रकार, विद्वान सेस्टेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जहाँ तक सीमा शुल्क का संबंध है, कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

5. इसके विपरीत, उत्तरदाता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप वैष्णव ने अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक- श्री मुकेश मोदी) की ओर से किए गए उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी के पास एक ईओयू की स्थिति थी और उसे निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से वह स्थिति प्रदान की गई थी।

5.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी को शुल्कों के भुगतान के बिना कच्चा माल आयात/घरेलू खरीद करना और अपने उत्पाद/तैयार माल का निर्यात करना था। इस प्रकार, आगामी अवधि के लिए, वे घरेलू बाजार में सीमित तैयार उत्पादों को, जैसा कि अनुमति दी गई थी, समाप्त कर सकते थे।

5.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी ने जानबूझकर ईओयू योजना का दुरुपयोग किया, क्योंकि उसने कम दर पर घरेलू बाजार से हरा संगमरमर (सर्पेन्टाइन) खरीदा और प्रसंस्करण के बाद उसका निर्यात किया; जबकि उसने शुल्कों के भुगतान के बिना एक उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर आयात किया और प्रसंस्करण के बाद रियायती दरों पर घरेलू बाजार में उसे जारी किया है।

5.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी को आयातित माल के 'समान' माल का निर्यात करना आवश्यक था और चूंकि उसने (अपीलकर्ता-कंपनी) आयातित माल से निर्मित माल का निर्यात नहीं किया है, इसलिए आयात शुल्क की छूट की अनुमति नहीं थी और इस प्रकार उसे आयात के समय छूट दिए गए शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था।

5.4. विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता-कंपनी के तर्क के संबंध में कि उसे डीटीए बिक्री की अनुमति थी, प्रस्तुत किया कि डीटीए बिक्री की अनुमति केवल निर्यात किए गए 'समान' माल के संबंध में ही अभिप्रेत थी, हालाँकि अपीलकर्ता-कंपनी ने पूरी तरह से सर्पेन्टाइन/हरा संगमरमर निर्यात किया और डीटीए में केवल सफेद आयातित संगमरमर जारी किया।

5.5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि डीजीएफटी के परिपत्र सीमा शुल्क पर बाध्यकारी नहीं हैं। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रावधान अस्पष्ट नहीं हैं और बहुत स्पष्ट हैं लेकिन अपीलकर्ता-कंपनी ने अवैध लाभ लेने के लिए जानबूझकर उनकी गलत व्याख्या की है, जबकि सीमा शुल्क प्राधिकारी उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की चोरी को, यदि कोई हो, सुरक्षित रखने के लिए निस्संदेह सशक्त हैं।

5.6. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी इस न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है क्योंकि बाजार में, आयातित सफेद संगमरमर और सर्पेन्टाइन/हरे घरेलू संगमरमर में बहुत अंतर है और यह कि आयातित सफेद संगमरमर का मूल्य बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रयोगशाला प्रमाण पत्र दर्शाता है कि सर्पेन्टाइन संगमरमर हरा संगमरमर है।

5.7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 17.02.2009 का आक्षेपित आदेश दर्शाता है कि आयातित सफेद संगमरमर ब्लॉकों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, और अपीलकर्ता-कंपनी को आयातित संगमरमर ब्लॉकों से निर्मित तैयार माल का निर्यात करना आवश्यक था।

5.8. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी घरेलू और आयातित संगमरमर से निर्मित तैयार माल के उत्पादन और जारी करने के लिए जानबूझकर अलग रिकॉर्ड बनाए नहीं रख रही थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता-कंपनी ने डीटीए बिक्री का उचित रिकॉर्ड भी बनाए नहीं रखा है; उसने जानबूझकर अपने रिकॉर्ड में केवल 'संगमरमर' का उल्लेख किया, जबकि सामान्य व्यापारिक भाषा में, वे चालान/रिकॉर्ड में विशिष्ट प्रकार के संगमरमर का उल्लेख करते थे।

5.9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विभाग के साथ प्रस्तुत अपनी आवधिक विवरणी (ईआर-2) में, अपीलकर्ता-कंपनी ने यह उल्लेख नहीं किया कि माल घरेलू संगमरमर से निर्मित था या आयातित संगमरमर से। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता-कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया कि वह केवल स्वदेशी (घरेलू) संगमरमर का निर्यात कर रही थी और संगमरमर के लिए डीटीए बिक्री की अनुमति प्राप्त की थी और यह कि उसने आयातित माल से निर्मित माल का निर्यात नहीं किया था।

5.10. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता-कंपनी निर्यात और घरेलू बिक्री में समान माल का उपयोग नहीं कर रही थी, इसलिए अधिसूचना संख्या 52-2003-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 के तहत छूट (शुल्क मुक्त खरीद) उसके लिए उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि यहां तक कि उक्त परिपत्र के अनुसार, छूट केवल निर्यात के लिए निर्मित वस्तुओं/माल के लिए है, जबकि अपीलकर्ता-कंपनी ने आयातित शुल्क मुक्त कच्चे माल से निर्मित किसी भी माल का निर्यात नहीं किया है, जो रिकॉर्ड पर एक निर्विवाद तथ्य है। इसके अलावा, केवल वही माल डीटीए को जारी किया जाना है जो निर्यात किए गए माल के समान है, लेकिन अपीलकर्ता-कंपनी ने पूरी तरह से अलग वस्तुओं/माल का निर्यात किया है और डीटीए में जारी किया है और इस प्रकार अनुमति प्राप्त छूट का दुरुपयोग किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के साथ-साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि इस न्यायालय के समक्ष सीमित मुद्दा सीमा शुल्क से संबंधित है क्योंकि उत्पाद शुल्क पहले ही विद्वान सेस्टेट द्वारा दिनांक 17.02.2009 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है और उत्तरदाता द्वारा उसी को चुनौती नहीं दी गई है।

7. यह न्यायालय पाता है कि एलओपी के अनुसार निर्यात किए जाने वाले तैयार माल संगमरमर स्लैब/टाइलें और ग्रेनाइट टाइलें थे, जबकि निर्यात की मदों का विस्तार सर्पेन्टाइन स्लैब/टाइलें, तैयार संगमरमर ब्लॉक और तैयार सर्पेन्टाइन ब्लॉक को शामिल करने के लिए किया गया था, साथ ही घरेलू रूप से खरीदे गए सर्पेन्टाइन ब्लॉकों से निर्मित तैयार ब्लॉकों, स्लैबों और टाइलों के रूप में सभी प्रकार के प्राकृतिक पत्थरों को भी विकास आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदन के माध्यम से शामिल किया गया था।

8. यह न्यायालय आगे पाता है कि विसंगति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि अपीलकर्ता-कंपनी ने सफेद संगमरमर ब्लॉकों के आयात के विपरीत, सर्पेन्टाइन स्लैब/टाइलों और

तैयार सर्पेन्टाइन ब्लॉकों के साथ, स्वदेशी संगमरमर/ग्रेनाइट ब्लॉकों से बने संगमरमर स्लैब/टाइलों और ग्रेनाइट स्लैब/टाइलों की खेप का निर्यात किया, जो घरेलू रूप से खरीदे गए सर्पेन्टाइन ब्लॉकों से निर्मित थे। इस प्रकार जाहिर तौर पर, अपीलकर्ता-कंपनी छूट प्राप्त करने के लिए दोनों को 'समान' मानने की नीति और अधिसूचना का दुरुपयोग कर रही थी क्योंकि आयात विशेष रूप से सफेद संगमरमर ब्लॉकों के थे, जबकि इसका केवल छोटा हिस्सा सर्पेन्टाइन ब्लॉक, घरेलू रूप से खरीदे गए सर्पेन्टाइन ब्लॉकों से बने संगमरमर ब्लॉक थे।

9. यह न्यायालय यह भी पाता है कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 ने प्रावधान किया था कि 100% ईओयू द्वारा आयातित माल या 100% ईओयू द्वारा घरेलू रूप से खरीदे गए उत्पाद शुल्क के अधीन माल को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, बशर्ते कि सीमा शुल्क से मुक्त आयातित माल, निर्यात के लिए तैयार माल के निर्माण के संबंध में उपयोग किया गया हो।

10. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि सीमा शुल्क छूट केवल तभी उपलब्ध कराई गई थी जब शुल्क मुक्त आयातित और घरेलू रूप से खरीदे गए माल से बने तैयार माल को निर्यात करने के बजाय डीटीए में बेचा जाता है, जैसा कि एक्जिम नीति, 2002-2007 के प्रावधानों के अनुसार है।

11. यह न्यायालय इस राय का है कि घरेलू रूप से खरीदा गया सर्पेन्टाइन पत्थर, जिसे 'हरा संगमरमर' के रूप में भी जाना जाता है, 'समान' उत्पाद के निर्यात की आड़ में वर्तमान अपीलकर्ताओं (अपीलकर्ता-कंपनी और इसके निदेशक- श्री मुकेश मोदी) पर डाले गए निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है, जो घरेलू रूप से खरीदे गए सर्पेन्टाइन ब्लॉकों से निर्मित तैयार सर्पेन्टाइन ब्लॉक और सर्पेन्टाइन स्लैब/टाइलें हैं।

12. यह न्यायालय, रिकॉर्ड की बारीकी से जाँच करने पर, पाता है कि सफेद संगमरमर और सर्पेन्टाइन ब्लॉक/स्लैब सीमा शुल्क में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से समान नहीं हैं। उत्तरदाता द्वारा किए गए विशेषज्ञ रिपोर्टों के संदर्भ, इस न्यायालय को आश्वस्त करते हैं और विद्वान सेस्टेट द्वारा भी गहनता से निपटा गया है, कि हरा संगमरमर/सर्पेन्टाइन पत्थर संगमरमर से बहुत अलग है और ज्यादातर घरेलू रूप से खरीदा जाता है और इस प्रकार, आयातित संगमरमर ब्लॉकों से बहुत सस्ता है, और सीमा शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति के लिए हानिकारक होगी।

13. विद्वान सेस्टेट ने सही अभिनिर्धारित किया है कि ईओयू द्वारा डीटीए में बेचा गया माल बोर्ड के परिपत्र संख्या 07/2006-सीयूएस दिनांक 13.01.2006 में परिभाषित 'समान' शब्द के अर्थ के भीतर निर्यात किए गए माल के 'समान' होना चाहिए।

14. यह न्यायालय यह भी अवलोकन करता है कि एक्जिम नीति 2002-2007 के अनुसार, निर्यात के लिए उत्पाद ए और बी का निर्माण करने वाला 100% ईओयू, समग्र डीटीए बिक्री पात्रता के भीतर अपने निर्यात के एफओबी मूल्य के 75% तक एक उत्पाद, मान लीजिए ए, डीटीए में बेच सकता था।

15. न्यायालय आगे अवलोकन करता है कि वर्तमान उत्पाद शुल्क अपील के संदर्भ में 'समान' शब्द की व्यापक व्याख्या को अपनाना प्रश्नगत नीति के पीछे विधायी इरादे को कमजोर करेगा और साथ ही इसके व्यापक परिणाम होंगे जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित क्षति पहुँचा सकते हैं। यह अतिरिक्त रूप से नोट किया जाता है कि 'समान' शब्द का इरादा एक ही मौलिक श्रेणी के माल, जैसे स्लैब, टाइल, संगमरमर, और पत्थर को शामिल करना है, न कि उन्हें जो प्रकृति में समान हैं और तुलनीय/समान उपयोगों के लिए अभिप्रेत हैं। सर्पेन्टाइन संगमरमर और सफेद संगमरमर की उत्पत्ति और अनुप्रयोग निर्विवाद रूप से अलग हैं और इस प्रकार वे किसी भी परिस्थिति में समान नहीं माने जा सकते हैं।

15.1. यह न्यायालय यह भी पाता है कि इस शर्त के पीछे विचार डीटीए बिक्री के लिए तैयार माल के निर्माण में विशेष रूप से उपयोग के लिए महंगे माल के शुल्क मुक्त आयात द्वारा 100% ईओयू योजना के दुरुपयोग को रोकना और घरेलू रूप से खरीदे गए सस्ते माल से बने तैयार माल का निर्यात करके निर्यात दायित्व को पूरा करना था।

16. इस प्रकार, यह न्यायालय सहमत है कि आक्षेपित आदेश में सेस्टेट द्वारा किया गया निर्धारण, कि आयातित संगमरमर ब्लॉकों के संबंध में अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस में निर्धारित 100% ईओयू द्वारा शुल्क मुक्त आयात की शर्त पूरी नहीं हुई है और इस प्रकार ऐसी छूट अनुमेय नहीं थी। इसके अलावा, मामले को सामान्य सीमा अवधि के भीतर सीमा शुल्क मांग की मात्रा को पुनर्निर्धारित करने और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 (ए) के तहत अपीलकर्ताओं पर शास्ति की मात्रा को पुनर्निर्धारित करने के उद्देश्य से आक्षेपित आदेश के माध्यम से वापस भेजा गया है, और इसलिए, अपीलकर्ताओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष अपने तथ्यात्मक सार को उठाने करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय विद्वान सेस्टेट द्वारा पारित दिनांक 17.02.2009 के आक्षेपित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप को वारंट करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं पाता है। तदनुसार, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, उत्तरदाताओं के पक्ष में और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उत्तर दिया जाता है।

18. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलें खारिज की जाती हैं। सभी लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।

(मुन्नूरी लक्ष्मण), जे **(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी), जे**

एसकांत/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़